न्यायालय को
(क) के
रिम आदेश
ने से पूर्व
क्तियों का
न अस्थाई
दशा में
को जरिए
क 24.07.

लक मजिस्ट्रेट,
पुर
दली
ग्रन्थ
वली
वकालतनामा
आगामी तिथि

30.8.19 अ.जा.प्रा. वकील उजनी नवाब प्रा.पत्र देना नहीं चाहते हैं, होने से प्रा.पत्र आगामी तिथि पर बहस करना चाहते हैं। बहस प्रा.पत्र आगामी तिथि सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र के सम्बन्धित मूल वाद विभाजन से सम्बन्धित है। मूल वाद प्रारम्भिक डिक्री बिना का हुआ है अतः उभय पक्षों को ता दौराने वाद आगे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 13/218, 23/260, 24, 25, 26, 27 का कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर वाके ग्राम दतावता, पटवार हल्का चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के राजस्व रेकार्ड के मौके की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखें। ता दौराने वाद पत्रावली निर्णित होकर की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु. जयपुर